No. 9/4/87-6Lab./6514.—In pursuance of the provision of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of Presiding Officer, Industrial Tribunal, Faridabad, in respect of the dispute between the workman and the management of M/s Manu Enterprises, Plot No. 39, Mehrauli Road, Gurgaon.

BEFORE SHRI S. B. AHUJA, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, HARYANA, FARIDABAD

Reference No. 67/1987

between

SHRI RAM NARESH, C/O SHRI MAHABIR TYAGI, INTUC, DELHI ROAD, GURGAON AND THE MANAGEMENT OF M/S MANU ENTERPRISES, PLOT NO. 39, MEHRAULI ROAD, GURGAON

Present

Shri Mahavir Tyagi, A. R. for the workman.

Shri M. P. Gupta, A. R. for the management.

AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana referred the following dispute between Shri Ram Naresh, workman and the management of M/s Manu Enterprises, Plot No. 39, Mehrauli Road, Gurgaon, to this Tribunal for adjudication :-

> Whether the termination of services of Shri Ram Naresh is justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

2. On notices being given, the parties appeared through their authorised representatives The parties have amicably settled the dispute. The workman has received a sum of Rs. 1,250 in full and final settlement of his claim and has relinquished all his reghts of reinstaetment. The settlement is Ex. S-1 and receipt is Ex. S-2. The authorised representative of the parties have admitted the correctness of the settlement reached between the parties.

In view of the settlement between the parties, no point survives for adjudication between the parties. The award is passed accordingly.

S. B. AHUJA,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Haryana,
Faridabad.

Dated the 15th July, 1987.

Endst No. 93 , dated the 31st July, 1987

Forwarded (four copies) to the Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Departments, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. B. AHUJA,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Haryana,
Faridabad.

No. 9/4/87-6Lab./6515.—In pursuance of the provision of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of Presiding Officer, Industrial Tribunal, Faridabad, in respect of the dispute between the workman and the management of M/s Xen Civil No. 5, Panipat Thermal Power Project, H.S.E.B., Assan.

BEFORE SHRI S. B. AHUJA, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, HARYANA, FARIDABAD

Reference No. 644/1983

between

SHRI RAM SINGH WORKMAN, C/O SHRI V. K. MODI, 65/12, RAM NAGAR, KARNAL AND THE MANAGEMENT OF M/s XEN. CIVIL NO. 5, PANIPAT THERMAL POWER PROJECT, H.S.E.B., ASSAN

Present—

Shri Ram Singh, workman, in person

Shri Narinder Paul Singh, A. R. for the management.

AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana referred the following industrial dispute between Shri Ram Singh, workman and the management of M/s Xen, Civil No. 5, Panipat Thermal Power Project, H.S.E.B., Assan, to this Tribunal for adjudication :—

> Whether the termination of services of Shri Ram Singh is justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

2. An *ex parte* award was passed in favour of the workman on 8th April, 1986, by my predecessor. Later on the respondent-management submitted an application dated 30th July, 1986, for setting aside the *ex parte* award. The *ex parte* award was set aside with the consent of the parties. The parties have amicably settled the dispute. A joint statement of Shri Ram Singh, workman and Shri Narinder Paul Singh, authorised representative, has been recorded which is to the following effect :—

> "Joint statement of Shri Ram Singh, workman, on solemn affirmation and Shri Narinder Paul Singh, authorised representative for the management, on solemn affirmation.
>
> The matter has been compromised between the parties. Shri Ram Singh, workman, has been taken back on duty with effect from 12th June, 1987. He will be given all the benefits of service except back wages for the period he remained out of job. He shall be given original seniority and increments and promotion with effect from the date, a junior to him was promoted. In view of the amicable settlement between the parties, no point survives for adjudication. It is prayed that the award may be passed in that terms."

3. In view of the settlement between the parties, no point survives for adjudication. The parties shall abide by the settlement. The award is passed accordingly.

S. B. AHUJA,

Dated the 9th July, 1987.

Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Haryana,
Faridabad
(Camp at Panipat).

Endst. No. 937, dated the 31st July, 987.

Forwarded (four copies), to the Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Labour & Employment Departments, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. B. AHUJA,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Haryana,
Faridabad
(Camp at Panipat).

T. D. JOGPAL,
Commissioner & Secretary to Government,
Haryana, Labour & Employment Deptt.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 14 अगस्त, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/84-87/32261.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० (1) यशपाल ठेकेदार, मार्फत हिन्दुस्तान वायर लि०, एल०पी०जी० यूनिट, प्लाट नं० 267-268, सैक्टर 24, फरीदाबाद, (2) मैं० हिन्दुस्तान वायर लि०, प्लाट नं० 267-268, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सुमन कुमार, एटक आफिस, नजदीक ओल्ड जीवन बीमा

निगम कार्यालय, मार्किट नं० 1, एन० आई० टी०, फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

> क्या श्री सुमन कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/गुड़गांव/106-87/32270.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० आहूजा लैम्प कैंपस, पटोदी रोड़, गांव कादीपुर, जिला गुड़गांव, के श्रमिक श्री सतबीर, मार्फत श्री श्रद्धा नन्द, महा सचिव, एटक, 214, 4 मरला, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

> क्या श्री सतबीर ने स्वयं त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ी है या उसकी सेवायें समाप्त की गई हैं ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

स० ओ० वि०/एफ०डी०/गुड़गांव/106-87/32277.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० आहूजा लैम्प कैंपस, पटोदी रोड़, गांव कादीपुर, जिला गुड़गांव, के श्रमिक श्री सुमारा, मार्फत श्री सदा नन्द, महा सचिव, एटक 214, 4 मरला, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

> क्या श्री सुमारा ने स्वयं त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? या उसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० रोह/88-87/32284.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) उपायुक्त रोहतक, (2) नगरपालिका, रोहतक, के श्रमिक श्री राज सिंह, पुत्र श्री पृथी सिंह, मकान नं० 468, जनता कालोनी, रोहतक, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1 श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

> क्या श्री राज सिंह, ड्राईवर, की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?